झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 05.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स०वि०स० श्री नलिन सोरेन स०वि०स० श्री सुखराम उराँव स०वि०स०	संथाली कास्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-46 के तहत् ग्राम प्रधान/मूल रैयत प्रधानी गाँव से लगान वसूली करने का प्रावधान दिया गया है, लेकिन वर्त्तमान में SPT Act का उल्लंघन करते हुए ऑनलाइन राजस्व वसूली करने का दबाव बनाया जा रहा है। अतः सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकर्षित करना चाहते हैं कि पूर्व की भाँति लगान वसूली ग्राम प्रधान/मूल रैयत के द्वारा ऑफलाइन से वसूली कर अंचल कार्यालय में जमा कराकर ग्राम प्रधान/मूल रैयत प्रधानों के नाम से रसीद निर्गत किया जाय।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार
02-	श्री केदार हजरा स०वि०स० श्री दुलू महतो स०वि०स०	जमुआ विधान सभा के प्रखण्ड देवरी जिला गिरिडीह में एक प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय वर्ष- 1988 से संचालित है। उस समय बिहार सरकार के द्वारा राज्य के अन्दर प्रोजेक्ट विद्यालयों सरकारीकरण कर लिया गया लेकिन देवरी प्रखण्ड प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का सरकारीकरण नहीं किया गया तब से विद्यालय संचालित है तथा पठन-पाठन कार्य संम्पादित है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
		इसे अस्थायी संबद्धता की स्वीकृत दी गई लेकिन न ही स्थायी प्रस्वीकृति दी गई लेकिन और न ही अस्थाई अनुदान दिया गया जबकि प्रखण्ड मुख्यालय एक सरकारी उच्च विद्यालय नही है जिससे छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते है कि इस विद्यालय का सरकारीकरण किया जाय ताकि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के साथ-साथ छात्राओं के उचित लाभ मिल सके।	
03-	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता स०वि०स० श्री आलोक कुमार चौरसिया स०वि०स० श्री इन्द्रजीत महतो स०वि०स०	डालटनगंज से पाँकी पथ भाया लेस्लीगंज (डी०एल०पी०), जो की राज्य राजमार्ग (SH)-10 के नाम से जानी जाती है, इसकी लम्बाई 45 कि०मी० है। यह इस क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सड़क है जो कई प्रखंडों, पंचायतों एवं गाँवों की मुख्य शहर एवं जिला मुख्यालय से जोड़ता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस पथ से शिक्षा, चिकित्सा, न्यायिक, प्रशासनिक तथा अन्यान्य महत्त्वपूर्ण निजी कार्यों से शहर आवागमन करते है। प्रतिदिन हजारों लोग रोजगार एवं व्यापार के निमित्त इस पथ से आवागमन करते है तथा किसान अपने फसल और उपज को मुख्य बाजार तक पहुँचाते है जिस कारण यह पथ आर्थिक विकास की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण सड़क है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह पथ इस क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा है। ज्ञात हो कि वर्त्तमान में यह सड़क अत्यन्त जर्जर हो गई है तथा आमजनों का आवागमन दुरुह हो गया है। पथ जर्जर होने के कारण आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं जिससे उन्हें शारीरिक तथा आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। वर्त्तमान में इस सड़क की चौड़ाई-7 मीटर है जो इस सड़क की उपयोगिता के अनुरुप, इस पर चलने वाले वाहनों	पथ निर्माण

क्र०पृ०30-

01.	02.	03.	04.
		की संख्या के अनुसार कम प्रतीत होती है, जो लोगों के बहुमुल्य समय की क्षति का एक बड़ा कारण है। अतः उपर्युक्त अत्यंत महत्त्वपूर्ण जनोपयोगी सड़क की चौड़ाई- 7 मीटर से बढ़ाकर-10 मीटर करने हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।	
04-	श्री दशरथ गागराई स0वि0स0 श्री दीपक बिरुवा स0वि0स0 श्री निरल पुरती स0वि0स0	पश्चिमी सिंहभूम जिला के खूंटपानी अंचल के मौजा पान्ड्राशाली के खाता संख्या-63, प्लॉट संख्या-1470, रकबा-1 एकड़ भूमि को श्री सिद्धलाल पुरती, पिता स्व0- सिंगराई पुरती, ग्राम+पोस्ट- पांड्राशाली, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड एवं खाता संख्या-63, प्लॉट संख्या- 1469, रकबा- 1 एकड़ भूमि को श्री जुकु महातन पुरती, पिता स्व0- बैगो पुरती, ग्राम/पोस्ट- पांड्राशाली, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड से M/S Ten 31 (Manufacturer of AAC Blocks) मालिक Mohit Chirania, S/O Bajranglal Chirania, House No. 65 Mahulsai Road, chaibasa द्वारा औने-पौने वार्षिक किराये में रैयत को बहला-फुसला कर 30 साल के लिए लीज करा लिया गया है। इन दोनों की प्लॉट पर आधुनिक किस्म के ईंटा बनाने से संबंधित औद्योगिक इकाई की स्थापना की गयी है। उपर वर्णित दोनों ही रैयतों ने बलपूर्वक एग्रीमेंट किये जाने की जानकारी दी है। अतएव उपर वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त भूखंड के लीज को तत्काल निरस्त करते हुए सी0एन0टी0 एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए मूल रैयत को वापस करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते है।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
05-	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0 श्रीमती ममता देवी स0वि0स0 श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में प्रस्तावित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु अधिगृहीत की गयी भूमि पर यदि 05 वर्षों से कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो उस भूमि को संबंधित भू-स्वामी को वापस करने का प्रावधान है। बड़कागाँव विधान सभा क्षेत्राधीन जिस भूमि पर 5 वर्ष पूर्व अधिग्रहण किया गया, पर आजतक संबंधित कम्पनी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, उस अधिगृहित भूमि को संबंधित भू-स्वामी को लौटाई जाय। यदि उसी भूमि पर दूसरी कम्पनी संयंत्र लगाना चाहती है, तो पुनः भूमि का अधिग्रहण वर्त्तमान दर पर मुआवजा भुगतान एवं नियोजन उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 05 मार्च, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-03/2021-.....988...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 04/03/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-03/2021-.....988...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 04/03/2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

04/03/2021

सुभाष/-